(67)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
46/2018/प्रा.पत्र/2018	12.07.2018	03.05.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1—श्री औमप्रकाश सिन्धी पुत्र महादेव सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स औमप्रकाश प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 जनता कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0
2— मैसर्स औमप्रकाश प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0
3—श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र मीठालाल जैन प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0
4— मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0
5—श्री गोपाल चन्द हरचन्दानी पुत्र हासा राम निवासी 494 बोहरा कॉलोनी शास्त्री नगर ब्यावर जिला अजमेर प्रोपरायटर मैसर्स गणपति उघोग 17—18 जवाहर लाल नेहरू उघोगपुरी सेन्दडा रोड ब्यावर जिला अजमेर राज0
6— मैसर्स गणपति उघोग 17—18 जवाहर लाल नेहरू उघोगपुरी सेन्दडा रोड ब्यावर जिला अजमेर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 03.05.2019

:—निर्णय—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2018 को समय सांय 1.09 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स औमप्रकाश प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री औमप्रकाश सिन्धी पुत्र महादेव सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स औमप्रकाश प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 जनता कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री औमप्रकाश सिन्धी को गवाह के सामने फार्म न. 5ए मे वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता औमप्रकाश सिन्धी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

767

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान में नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) के 20 पैकेट 400–400 ग्राम मे से 4 नग 400–400 ग्राम के पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से 4 नग 400–400 ग्राम नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री औमप्रकाश सिन्धी को रू0 140/–अक्षरे एक सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) 400&400 ग्राम के 1–1 नग अलग–अलग चार कागज के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एव क्रमांक I–1845 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1845 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. औमप्रकाश सिन्धी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री औमप्रकाश सिन्धी ने मौके पर नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) बतोर वारन्टी मैसर्स मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल क्रमांक 303 दिनांक 27.02.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।वारन्टी होने के कारण प्रबन्धक मैसर्स मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक ने बतोर वारन्टी मैसर्स गणपति उघोग 17–18 जवाहर लाल नेहरू उघोगपुरी सेन्दडा रोड ब्यावर जिला अजमेर राज0 के इन्वॉइस नं. 4621 दिनांक 11.01.2018 की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/968 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/176/एक्ट/2018/182 दिनांक 02.04.2018 अनुसार औमप्रकाश सिन्धी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस नमकीन गौरी पॉली पैक (Namkeen Gauri Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया नमकीन गौरी पॉली पैक(Namkeen Gauri Poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

(69)

श्री औमप्रकाश सिन्धी पुत्र महादेव सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स औमप्रकाश प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 जनता कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0पर शास्ती 3,000/– (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र मीठालाल जैन प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 3,000/– (अक्षरे तीन हजार रू0) तथा अप्रार्थी श्री गोपाल चन्द हरचन्दानी पुत्र हासा राम निवासी 494 बोहरा कॉलोनी शास्त्री नगर ब्यावर जिला अजमेर प्रोपरायटर मैसर्स गणपति उघोग 17–18 जवाहर लाल नेहरू उघोगपुरी सेन्दडा रोड ब्यावर जिला अजमेर राज0 पर शास्ति 10,000/– (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner